

और सकी व्यवस्था में होर इस अत्यधिक बिलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) क्या ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल तक की टेलीफोन लाइनें सदैव खराब रहती हैं और यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) दिसम्बर 1979 में कुल कितने दिन और इन दिनों में कितने-कितने समय के लिए लाइनें खराब रहीं ?

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म मारायण सिंह) : (क) ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल के लिए एस० टी० डी० सेवा क्रमशः वर्ष 1980 के मध्य तथा अन्त तक प्रारम्भ कर दी जायेगी। इन मार्गों में एस० टी० डी० सेवा चाल करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि सम्बन्धित स्टेशनों को जोड़ने वाले उपयुक्त रेडियो उपस्कर समय पर उपलब्ध न हो सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिसम्बर 1979 के दौरान मार्ग में आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण कितने दिन लाइनें बन्द पड़ी रहीं उनकी संख्या :—

3 दिन—ग्वालियर—भोपाल मार्ग पर

8 दिन—ग्वालियर—नई दिल्ली मार्ग पर

आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण हुए अवरोध की अवधि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

(वह अवधि जिसमें सभी सर्किटों में अवरोध उत्पन्न हुआ और मार्ग पर कोई आउटलेट उपलब्ध नहीं था।)

(क) ग्वालियर से भोपाल मार्ग पर—(कुल सर्किट—5)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि	घण्टा-मिनट
1-12-79		02.00
20-12-79		06.45
21-12-79		10.30

(ख) ग्वालियर से नई दिल्ली मार्ग पर—
(कुल सर्किट—4)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि	घण्टा-मिनट
2-12-79		10.15
5-12-79		1.45
9-12-79		0.15
12-12-79		0.15
16-12-79		1.15
20-12-79		8.30
25-12-79		11.30
26-12-79		13.00

मध्य प्रदेश को डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन

23. श्री एन० के० शंजवलकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1979 के दौरान मध्य प्रदेश को, विशेष कर ग्वालियर जिले को डीजल और मिट्टी के तेल का कितना प्रति व्यक्ति कोटा आवंटित किया गया और उत्तर प्रदेश को आवंटित कोटे से यह कितना कम था और मध्य प्रदेश को इन वस्तुओं का कम कोटा आवंटित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सप्लाई का कोई विशेष प्रबन्ध करने का है और यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मिट्टी के तेल की सप्लाई के मामले में मध्यम आर्थिक वर्ग के लोगों और गरीब श्रमिकों को ऐसी ही प्राथमिकता दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : डीजल और मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आवंटन के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) संघ शासित प्रदेशों और राज्यों को पेट्रोलियम विभाग द्वारा डीजल का मासिक आवंटन किया

जा रहा है। राज्य के भीतर उनके विभिन्न भागों में डीजल का वास्तविक वितरण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले डीजल के लिए राज्य सरकार डीजल की मात्रा निर्धारित करती है और ऐसा करते समय ऐसे राज्यों की स्थानीय स्थितियों के आधार पर किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता है। तेल कम्पनियों राज्यों द्वारा किये गये आर्बटन का अनुसरण करती है और फुटकर बिक्री केन्द्रों को डीजल की सप्लाई करने की व्यवस्था करती हैं। तथापि राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र में डीजल सप्लाई करने के मामले में उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ग) मिट्टी के तेल का फुटकर वितरण राज्य सरकारों का दायित्व है जिन्हें इस उत्पाद के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में कुल उपलब्धता में से उचित एवं न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता

24. श्री राम विलास पासवान :

श्री एफ० एच० मोहसिन :

श्री के० लक्ष्मण :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्या है ;

(ख) क्या वे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (1979-80) के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग 30 मिलियन मी० टन के लगभग होने का अनुमान लगाया गया है। देश में चालू वर्ष के दौरान शोधनशालाओं से उत्पादन की कुल पूर्वानुमानित उपलब्धता लगभग 26 मिलियन मी० टन होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1979-80 के दौरान कमी को पूरा करने के लिए लगभग 5 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए योजना तैयार की गई है।

Abolition of Public Schools

25. SHRI R. P. YADAV:

SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) keeping in view the uniformity of education in the country, whether Government are thinking of abolishing the public schools;

(b) if so, by when; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No proposal to abolish public schools in the country is under consideration of Government.

(b) Does not arise.

(c) The question of abolition of public schools was examined sometime back and the legal opinion tendered to the Government was to the effect that any action to abolish public schools will be violative of Article 30 of the Constitution in so far as public schools managed by minorities are concerned, and would be violative of Article 19(g) of the Constitution in so far as non-minority public schools are concerned.

Applicability of Allotment of Government Accommodation Rules uniformly

26. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government issued orders in 1975 directing Government servants who own houses in Delhi to vacate Government accommodation allotted to them;

(b) whether it is also a fact that in 1977, the Government modified the said orders allowing the house owners to retain Government accommodation on normal fees;

(c) whether it is also a fact that the priority date for allotment purposes of those Government servants who vacated the Government accommodation